अत्यावश्यक/आज ही जारी हो

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर

क्रमांक: प.24(01)2013/तक./प्रमुवसं/ 2171-88 दिनांक 13.11.2013

निमित्त,

समस्त मुख्य वन संरक्षकगण,
राजस्थान,

विषयः—वर्ष 2011—13 में विभाग में उपलब्ध समस्त प्रकार के वाहनों में से जिला पूल/स्टेट मोटर गैराज में जमा वाहनों तथा नकारा धोषित वाहनों के संबंध में संकलित सूचना भिजवाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत **BFC** वर्ष 2013—14 की बैठक सचिवालय में दिनांक 08.11.13 एवं 11.11.2013 को आयोजित की गई जिसमें प्रपत्र—4—(अ) में विभाग में उपलब्ध वाहनों के संबंध में सूचना उपलब्ध करवाये जाने पर यह निर्देशित किया गया कि (पहली बार) वर्ष 2011 में **IFMS** में दर्ज समस्त प्रकार के वाहनों में से जिला पूल/स्टेट मोटर गैराज में जमा वाहनों तथा नकारा धोषित वाहनों को कम करते हुए चालू हालात् के वाहनों को ही **IFMS** ऑनलाईन बजट मद्वार दर्ज किया जाना है।

अतः कृपया वर्ष 2011—13 में विभाग के समस्त प्रकार के वाहनों में से जिला पूल/स्टेट मोटर गैराज में जमा वाहनों तथा नकारा धोषित वाहनो के संबंध में जारी पत्रादि/आदेशों की प्रति सहित आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों सहित इस कार्यालय को 5 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि **IFMS** में विभाग के समस्त प्रकार के चालू हालात के वाहनों को कार्यालयवार एवं बजटमद वार दर्ज किया जा सके। उक्त के अभाव में वाहनों हेतु बजट आबंटित नहीं हो पायेगा।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दिलवावें।

भ व दी य,

(वीरेन्द्र सिंह),
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन),
राजस्थान, जयपुर।